



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122021-232276
CG-DL-E-31122021-232276

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 686]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 28, 2021/पौष 7, 1943

No. 686]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 28, 2021/PAUSA 7, 1943

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2021

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति)
(प्रथम संशोधन) विनियम, 2021

(2021 का संख्या 3)

सं. ए-12013/13/ आरआर/2016- यूआईडीएआई (2021 का संख्या 3).—आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) यथा संशोधित आधार एवं अन्य विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का संख्या 14) की धारा 54 की उप-धारा (1) तथा धारा 54 की उप-धारा (2) के खंड (x), के साथ पठित धारा 21 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 (2020 का 1) में संशोधन करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: —

- (1) इस विनियम को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021 (2021 का संख्या 3) कहा जाएगा।
- (2) यह विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 की अनुसूची में संशोधन :—

(क) सहायक महानिदेशक (प्रौद्योगिकी) पद के समक्ष, कॉलम (श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है) के अंतर्गत, 'प्रतिनियुक्ति से' शीर्ष के अंतर्गत 'कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स' प्रविष्टि को हटा दिया जाएगा।

(ख) उप निदेशक (प्रौद्योगिकी) पद के समक्ष, कॉलम (श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है) के अंतर्गत, 'प्रतिनियुक्ति से' शीर्ष के अंतर्गत 'सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखने वाले' प्रविष्टि को 'सरकारी एजेंसी द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में चार वर्ष की डिग्री या कंप्यूटर ऐप्लिकेशन में स्नात्कोत्तर डिग्री' से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा।

(ग) सहायक निदेशक (प्रौद्योगिकी) पद के समक्ष, कॉलम (श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है) के अंतर्गत, 'प्रतिनियुक्ति से' शीर्ष के अंतर्गत 'सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखने वाले' प्रविष्टि को 'सरकारी एजेंसी द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में चार वर्ष की डिग्री या कंप्यूटर ऐप्लिकेशन में स्नात्कोत्तर डिग्री' से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा।

(घ) तकनीकी अधिकारी पद के समक्ष, कॉलम (श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है) के अंतर्गत, 'प्रतिनियुक्ति से' शीर्ष के अंतर्गत 'सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखने वाले' प्रविष्टि को 'सरकारी एजेंसी द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में चार वर्ष की डिग्री या कंप्यूटर ऐप्लिकेशन में स्नात्कोत्तर डिग्री' से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा।

डॉ. सौरभ गर्ग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टिप्पणी—मुख्य विनियम यथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में दिनांक 21 जनवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या ए-12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई (2020 का संख्या 01 के द्वारा प्रकाशित किया गया था।

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2021

Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees)

(First Amendment) Regulation, 2021

(No. 3 of 2021)

No. A-12013/13/RR/2016-UIDAI (No. 3 of 2021).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 21 read with sub-section (1) of section 54 and clause (x) of sub-section (2) of section 54 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), as amended vide the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Act, 2019 (14 of 2019), the Unique Identification Authority of India hereby makes the following regulation further to amend the Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees) Regulations, 2020 (No. 1 of 2020) namely:—

1. Short title and commencement—

- (1) This regulation may be called the Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees) (First Amendment) Regulations, 2021 (No. 3 of 2021).
- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Amendment in Schedule to the Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees) Regulations, 2020—

(a) Against the post of Assistant Director General (Technology), under the column of Grade from which promotion/ deputation is to be made, under heading “By Deputation”, the entry “in computer sciences, information technology or electronics” shall be deleted.

(b) Against the post of Deputy Director (Technology), under the column of Grade from which promotion/ deputation is to be made, under heading “By Deputation”, the entry “Possessing educational qualification prescribed for direct recruitment” shall be substituted with “Four year degree in engineering or technology or Master degree in Computer Application from an institution recognized by Government agencies.”

(c) Against the post of Assistant Director (Technology), under the column of Grade from which promotion/ deputation is to be made, under heading “By Deputation”, the entry “Possessing educational qualification prescribed for direct recruitment” shall be substituted with “Four year degree in engineering or technology or Master degree in Computer Application from an institution recognized by Government agencies.”

(d) Against the post of Technical Officer, under the column of Grade from which promotion/ deputation is to be made, under heading “By Deputation”, the entry “Possessing educational qualification prescribed for direct recruitment” shall be substituted with “Four year degree in engineering or technology or Master degree in Computer Application from an institution recognized by Government agencies.”

Dr. SAURABH GARG, Chief Executive Officer

Note: The principal regulations i.e Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees) Regulations, 2020 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide Notification No. A-12013/13/RR/2016-UIDAI (No 1 of 2020) dated 21st January, 2020.